न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद

ओमाराम बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा [illegible] मु. नं. [illegible] वर्ष

दिनांक	आज्ञा-पत्र
	पत्रावली वास्ते [illegible] 13/10/20 को पेश हो
13/10/20	पत्रावली पेश हुई वकील [illegible] उपस्थित, पत्रावली [illegible] पत्रावली का [illegible] 13 [illegible] नहीं [illegible] पत्रावली [illegible] पत्रावली [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 11:57:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र/मु.सं.– 419/2015

भोमाराम पुत्र गणपतराम विकृतचित जरिये नेक्ट फ्रेंड मनोज पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी कूदन हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

– प्रार्थी

बनाम

01. रणमल सिंह पुत्र नारायणराम
02. भागोती पुत्री गणपतराम
03. जुगलकिशोर पुत्र गणेशाराम (मृत)
    (3/1) धर्मपाल पुत्र स्व. जुगलकिशोर
    (3/2) सुभिता पुत्री स्व. जुगलकिशोर
    (3/3) सन्तोष पुत्री स्व. जुगलकिशोर
04. मु. सिणगोरी बेवा बलदेवाराम
05. हरफुल पुत्र बलदेवाराम (मृत)
    (5/1) छोटी देवी पत्नी स्व. हरफूल
    (5/2) संदीप पुत्र स्व. हरफूल
    (5/3) मंजू देवी पत्नी स्व. महेश कुमार
    (5/4) अक्षय पुत्र स्व. महेश कुमार
    (5/5) रूचिका पुत्री स्व. महेश कुमार
06. ओम प्रकाश पुत्र बलदेवाराम
    समस्त जाति जाट निवासीगण कूदन हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
07. तहसीलदार, सीकर ग्रामीण हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

– औप. अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. बाबत इकतरफा निर्णय व डिक्री मु.सं. 210/1993 दिनांक 31.08.2006 बउनवानी रणमल सिंह बनाम मु.मोहरी आदि अपास्त कर दावे की पुनः सुनवाई किये जाने बाबत।

उपस्थिति–
01. श्री श्रवण कुमार झाझड़िया, वकील प्रार्थी की ओर से
02. श्री सागरमल धायल, वकील अप्रार्थीगण सं. 1, 5/1 व 6 की ओर से
03. श्री मनोज कुमार ढाका, वकील अप्रार्थीगण सं. 5/2 व 5/5 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 11:37:05 IST
Reason: Self Attested

निर्णय दिनांक– 13.10.2025

वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन से संक्षेप तथ्य इस प्रकार से है कि "प्रार्थी के पैतृक खाते कब्जे काश्त की भूमि खसरा सं. 38 रकबा 0.200 हेक्टेयर, खसरा सं. 918 रकबा 1.

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

45 हेक्टेयर वाके ग्राम कूदन तत्कालीन तहसील धोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित रही है, जिसके पूर्व खातेदार प्रार्थी का पिता गणपतराम पुत्र खींवाराम जाति जाट निवासी ग्राम कूदन तत्कालीन तहसील धोद जिला सीकर रहा था। प्रार्थी अपने पिता गणपतराम के जीवनकाल मे उनके साथ तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके वैध उत्तराधिकारी के रूप में काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 माननीय न्यायालय में विचाराधीन रहे दावा सं. 210/1993 में दावे मे पक्षकार रहे है। अप्रार्थी सं. 1 ने माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर के यहां उदघोषण, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड का एक मिथ्या दावा पेश किया था, जो बाद सुनवाई दिनांक 31.08.2006 को डिक्री कर दिया गया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 की खातेदारी में से अवैध रूप से रास्ता कायम करने का आदेश पारित कर दिया। कानूनन काश्त भूमि में से रास्ते की घोषणा का दावा सिविल न्यायालय में ही चल सकता है। राजस्व न्यायालय में दावा संख्या 210/1993 कानूनन पोषणीय ही नहीं था। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बीच बंटवारे का दावा सं. 124/1972 उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 05.11.1973 को निर्णित किया जा चुका था। जिसके मुताबिक प्रार्थी के पिता गणपतराम के खाते मे पुराने खसरा सं. 177 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, खसरा सं. 190 में से पश्चिम तरफ की 2 बीघा 2 बिस्वा तथा खसरा सं. 489 में से 2 बीघा 16 बिस्वा, उत्तरी–पश्चिम कोने की तथा खसरा सं. 463 में 3 बिस्वा उत्तरी–पश्चिम तरफ की तथा खसरा सं. 120 में से 1 बीघा 5 बिस्वा दक्षिण पश्चिम, खसरा सं. 121 में से 6 बीघा 10 बिस्वा पूर्वी ओर की भूमि बंटवारे मे प्राप्त हुई थी। उक्त दावे मे वादी अप्रार्थी रणमल सिंह प्रतिवादी सं. 1 के रूप में पक्षकार था। कानूनन धारा 10, 12 सी.पी.सी. के अनुसार उन्हीं पक्षकारो एवं वह उसी वाद विषय वस्तु जिसमे विवाधक एक ही हो पश्चातवृति वाद कानूनन चल नहीं सकता है। इसलिए दावा सं. 210/1993 में पारित निर्णय दिनांकित 10.02.2006 व डिक्री दिनांकित 31.08.2006 निरस्तनीय है। दावा सं. 210/1993 में प्रतिवादी सं. 2 पिछले 30 वर्षों से विकृतचित चला आ रहा है। कानूनन विकृतचित के विरूद्ध दावा पोषणीय नही है। फिर भी प्रतिवादी सं. 2 की विकृतचित की जानकारी होते हुये भी वादी रणमल सिंह ने प्रतिवादी सं. 2 की दिनांक 04.04.1994 को गलत तामील करवा कर एकतरफा कार्यवाही आदेश पारित करवा दिये। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि विकृतचित के विरूद्ध कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती। इसलिए दावा सं. 210/1993 में पारित निर्णय दिनांकित 10.02.2006 व डिक्री दिनांकित 31.08.2006 निरस्तनीय है। प्रतिवादीया सं. 1 का देहांत दिनांक 29.05.1998 को ग्राम कूदन में हो गया था, जिसकी जानकारी वादी रणमल सिंह व प्रतिवादीगण सं. 3 ता 7 को शुरू से ही रही है। मोहरी की शोक बैठकों में उन्होंने नियमित भाग लिया है। कानूनन मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित डिक्री नलिटि (शून्य) की श्रेणी में आती है। इसलिए मृत व्यक्ति के विरुद्ध दावा सं. 210/1993 मे पारित निर्णय दिनांकित 10.02.2006 व डिक्री दिनांक 31.08.2006 को अपास्त की जाकर प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान आवेदक सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित है। वादी द्वारा अपने दावे मे कोई वाद कारण अंकित नही किया। वाद कारण के अभाव में दावा सं. 210/1993 से पारित निर्णय दिनांकित 10.02.2006 व डिक्री दिनांकित 31.08.2006 निरस्तनीय है। अनावेदक सं. 1 द्वारा राजस्व न्यायालय से खसरा सं. 381, 918 में से रास्ता मांग की गई। तत्समय रास्ते के दावा की सुनवाई का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी का नही होने से निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है। अपीलान्ट वादी द्वारा मृत प्रतिवादी सं. 1 को प्रतिस्थापित तामील करवाई गई थी। उक्त तामील करवाने के. दिवस को प्रतिवादी सं. 1 जीवित नहीं था इसलिए दावा सं. 210/1993 में पारित निर्णय दिनांकित 10.02.2006 व डिक्री दिनांकित 31.08.2006 निरस्तनीय की जाकर आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित है। आवेदक भूमि खसरा सं. 381, 918 वाके ग्राम कूदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 11:57:05 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

पर काबिज काश्त है। दिनांक 01.07.2013 को गिरदावर हल्का कूदन आवेदक के पास आया और कहां कि आपने जो रास्ता बंद कर रखा है। उसे हम खोलेंगे इस पर आवेदक ने कहां मेरे खेत मे से कोई रास्ता ही नही है, तब उसने अनावेदक द्वारा तहसील मे रास्ता खोलने के लिए दिये गये आवेदन की प्रति दिखाई। अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से प्रार्थी के खेत मे से होकर रास्ता अंकित करवा लेने कृत्य से आवेदकगण की कृषि भूमि की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाई जावें कि वे विवादित खसरा सं. 381, 918 जिसके नये बट्टा नम्बर खसरा सं. 1123/381 रकबा 0.0700 हेक्टेयर, खसरा सं. 1124/381 रकबा 1.9500 हेक्टेयर, खसरा सं. 1125/918 रकबा 0.0300 हेक्टेयर, खसरा सं. 1126/918 रकबा 1.4200 हेक्टेयर वाके ग्राम कूदन हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर पर से आवेदकगण को बलात बेदखल करने नींव–सींव तोड़–फोड़ करने, नये सीमाचिन्ह कायम करने, प्लॉट काटने, भूमि को अकृषि प्रयोग मे सम्परिवर्तित करने, कच्चा–पक्का निर्माण करने, विक्रय रहन दान करने व करवाने से सदेव के लिए बाज रहे तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें। दावा सं. 210/1993 की प्रार्थीगण को पूर्व में कोई जानकारी नहीं हो पाई। दिनांक 01.07.2013 को गिरदावर हल्का कूदन आवेदक के पास आया और कहा कि आपने जो रास्ता बंद कर रखा है, उसे हम खोलेंगे इस पर आवेदक ने कहा मेरे खेत मे से कोई रास्ता ही नहीं है। तब उसने अनावेदक द्वारा तहसील में रास्ता खोलने के लिए दिये गये आवेदन की प्रति दिखाई। आवेदकगण द्वारा उसी दिन नकल हेतु आवेदन पेश किया गया। नकल प्राप्त करने तत्पश्चात् विधि व्यवसाईयों से राय कर आवेदन तैयार कर अविलम्ब पेश किया जा रहा है। जानकारी के अभाव मे हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है। इस हेतु अलग से भी धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पेश किया जा रहा है। आवेदन माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार के में होने से आवेदन उचित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि आवेदन स्वीकार किया जाकर श्रीमान् के न्यायालय द्वारा मृत प्रतिवादी सं. 1, विकृतचित प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध दावा सं. 210/1993 में एकतरफा में पारित निर्णय दिनांकित 10.02.2006 व डिक्री दिनांकित 31.8.2006 निरस्त की जाकर प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान व प्रतिवादी सं. 2 के वाद–मित्र को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावें।" उक्त आवेदन के साथ विलम्ब क्षमा किये जाने बाबत आवेदन अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम भी अलग से पेश किया गया। प्रार्थी के आवेदन के समर्थन में ग्राम कूदन के कुछ निवासियों की ओर से अलग–अलग शपथ–पत्र पेश किये गये।

आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1, 4, 5 (5/1 ता 5/5) व 6 की ओर से मदवार जवाब विशेष कथन सहित पेश किया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया गया कि "मद सं. 1 जिस तरह से तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। भूमि खसरा सं. 381, 918 के अलावा अन्य भूमियां ग्राम कूदन में अवस्थित है, जो पक्षकारो की पैतृक कृषि भूमियां रही है तथा माननीय हाजा से निर्णित वाद सं. 124/1972 बउनवानी गणपतराम बनाम नारायण/रणमल आदि दिनांक 05.11.1973 को राजीनामा के आधार पर विभाजन किया गया था। मद ... जिस तरह से तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 ने न्यायालय हाजा के ... स्वच्छ हाथों से वाद पेश किया था, जो लगभग 13 वर्ष तक विचारण होने के पश्चात् गुणावगुण ... निर्णित हुआ है तथा विधिवत रूप से पूर्व निर्णयानुसार व वर्तमान मौके के अनुसार रास्ता ... किया गया है। जिसमें रास्ते के बाबत राजस्व रेकार्ड में अमल सही रूप से किया गया ... कानूनन संयुक्त स्वामित्व व खातेदारी की कृषि भूमियों में बंटवारा होने पर रास्ते की व्यवस्था बटवारे के वाद में ही की जाती है तथा सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रश्न नहीं है। फिर भी यदि प्रार्थी को कोई ग्रीवियन्स है तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 11:57:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील का प्रावधान है। इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र निरस्त होने योग्य है। मद सं. 3 में वाद सं. 124/1972 न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 05.11.1973 को निर्णित किया जाना व उसके अनुसार प्रार्थी के पिता को बंटवारे में भूमि प्राप्त होना स्वीकार है। शेष इबारत गलत होने से अस्वीकार है। वाद सं. 210/1993 पर धारा 10 व 12 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू नहीं होते है। धारा 10 सी.पी.सी. में स्पष्ट है कि "कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद्यक विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसी पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाधक है, आगे कार्यवाही नहीं करेगा जहां ऐसा वाद उसी न्यायालय में या (भारत) में के अन्य ऐसे न्यायालय में जो भारतीय विधि अनुकूलन द्वारा स्थापित किया गया है।" इससे साफ है कि धारा 10 सी.पी.सी. के प्रावधान वाद विचारण के दौरान लागू होते है। निर्णित होने के पश्चात् नहीं और चूंकि प्रार्थी द्वारा वाद विचारण के दौरान ऐसा कोई प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया गया। यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि वाद सं. 210/1993 पूर्व वाद सं. 124/1972 के विचारण के दौरान प्रस्तुत नहीं हुआ था। इसलिए भी धारा 10 सी.पी.सी. से वाद सं. 210/1993 प्रभावित नहीं होता। धारा 12 सी.पी.सी. में अतिरिक्त वाद का वर्णन है अर्थात "जहां वादी किसी विशिष्ट वाद हेतुक के संबंध में अतिरिक्त वाद संस्थित करने से नियमों द्वारा प्रवारित है वहां वह किसी ऐसे न्यायालय में जिसे यह संहिता लागू है, कोई वाद ऐसे वाद हेतुक के संबंध में संस्थित करने का हकदार नहीं होगा।" जिसमें स्पष्ट है कि वाद सं. 210/1993 के वादी का इस वाद से पूर्व इसी वाद कारण का कोई वाद नहीं था। इसलिए प्रार्थी धारा 10, 12 सी.पी.सी. के प्रावधानानुसार निर्णय व डिक्री दिनांक 10.02.2006 व 31.08.2006 को निरस्त करवाने का अधिकारी नहीं है। मद सं. 4 गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी सं. 2 विकृतचित है, के बाबत प्रतिवादी सं. 2 स्वयं ने प्रतिवादिनी सं. 1 मोहरी देवी, जो प्रतिवादी सं. 2 की माता है, ने कोई सबूत पेश नहीं किया, इसलिए प्रतिवादी सं. 2 पर तामील होने के पश्चात् न्यायालय हाजा में हाजिर नहीं आने पर दिनांक 04.04.1994 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। जिनमें वादी रणमल सिंह का कोई लेना देना नहीं है। मद सं. 5 जिस तरह से तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादिनी सं. 1 के वारिसान पहले से ही रेकार्ड पर मौजूद थे तथा वाद सं. 210/1993 एवं डिक्री दिनांक 31.08.2006 पूर्व वाद सं. 124/1972 के अनुसार ही निर्णित व डिक्री हुआ है तथा वाद सं. 124/1972 में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के प्रार्थी भोमाराम का पिता व मनोज का दादा गणपतराम वादी के रूप में पक्षकार रहा है, जो वाद सं. 124/1972 बरूये राजीनामा निर्णित व डिक्री किया गया है। जिसके अनुसार कार्यवाही किए जाने व हुए निर्णय से प्रार्थी प्रतिबंधित है। शेष खुलासा विशेष कथन में किया जावेगा। मद सं. 6 गलत होने से अस्वीकार है। वादी ने अपने वाद पत्र के पैरा सं. 12 व 15 में स्पष्ट रूप से वाद कारण अंकित किया है तथा वाद कारण के बाबत आपत्ति में वाद विचारण के दौरान ही उठायी जा सकती है, निर्णय व डिक्री पारित हो जाने के पश्चात तो मात्र अपील ही एक अधिकार शेष रहता है। मद सं. 7 जिस तरह से तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। जवाबदाता द्वारा खसरा सं. 381 व 918 में से रास्ता [illegible] पूर्व वाद सं. 124/1972 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.11.1973 के राजीनामा के अनुसार [illegible] तथा वाद सं. 124/1972 के राजीनामा के पैरा सं. 3 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि [illegible] से कोलिड़ा को जाने वाला आम रास्ता वादी गणपत राम के खेत में [illegible] आदी गणपतराम में खेत के दक्षिणी सींव के सहारे–सहारे जो गुमानाराम के खेत से [illegible] में पड़ता है होता हुआ रणमल प्रतिवादी के खेत में प्रवेश कर जायेगा तथा रणमल की कोठी व मकानात के पास से उत्तर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 11:57:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद * जिला-सीकर (राज.) *

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

तरफ होता हुआ आगे जाकर बलदेवाराम के खेत में प्रवेश करेगा। इसी प्रकार राजीनामा के पैरा सं. 5 व 9 में रास्ते के बाबत राजीनामा है तथा खसरा सं. 381 व 918 में से रास्ते की मांग उसी राजीनामा के अनुसार की गयी है, जिसे सुनवायी का अधिकार माननीय न्यायालय हाजा को ही है। राजीनामा के पैरा सं. 5 के अनुसार खसरा सं. 489 से उत्तर की तरफ कूदन से कोलिड़ा का रास्ता जाता है, जिसमें से निकलकर गणपत व गणेशराम की सींव रास्ता बलदेवा एवं रणमल के हिस्से में आने–जाने का रहेगा। इस प्रकार खसरा सं. 489 के नये खसरा सं. 918 कायम किए गए है। मद सं. 8 गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादिनी सं. 1 की तामील वाद–पत्र की प्रथम पेशी पर ही हो गयी थी तथा दिनांक 03.05.1995 को प्रतिवादिनी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता भी उपस्थित हुए है, जिन्होंने वकालतनामा पेश करने का अवसर चाहा तथा उसी दिन प्रतिवादिनी सं. 1 जीवित थी। यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि वाद सं. 210/1993 में पारित निर्णय व डिक्री से प्रतिवादिनी सं. 1 या उसके वारिसान के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पडा। बल्कि इनके पूर्वज गणपतराम के द्वारा प्रस्तुत वाद सं. 124/1972 बउनवानी गणपतराम बनाम नारायणराम/रणमल सिंह आदि में हुए राजीनामा दिनांक 15.10.1973 के अनुसार ही वाद सं. 210/1993 में रास्ता कायम किया गया है तथा कानूनन कोई भी व्यक्ति या खातेदार अपने पूर्वज या पूर्व खातेदार द्वारा की गयी कार्यवाही से विबंधित है तथा उसके विरूद्ध एक्ट अपोन जैसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। मद सं. 9 गलत होने से अस्वीकार है। वादी राजस्व रेकार्ड में अंकित रास्ते में बार–बार अवरोध उत्पन्न करने व बार–बार अपराध करने का आदि हो चुका है तथा कटाणशुदा रास्ते बाबत जवाबदाता द्वारा कार्यवाही करने पर रास्ते के अवरोध को हटाने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों के मौके पर पहुंचते ही वहां से नदारद हो जाता है। राजस्व रेकार्ड में कटाणी रास्ते में अवरोध पैदा करने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है तथा रास्ते के बाबत किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने या जवाबदाता को प्रतिबंधित करवाने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। मद सं. 10 गलत होने से अस्वीकार है। दावा सं. 210/1993 की जानकारी प्रार्थी को प्रारम्भ से ही रही है। दिनांक 01.07.2013 के बाबत अंकन मात्र अपने आवेदन को प्रभावी बनाने की नियत से किया है। बल्कि वास्तविकता तो यह है कि प्रार्थी बहुत ही चालाक एवं होशियार व्यक्ति है, जो कटाणी रास्ते में छड़ियां डालकर अवरोध पैदा करता है व अपने परिवारजनों से करवाता है तथा जवाबदाता द्वारा रास्ते से अवरोध हटाने की शिकायत अधिकारियों को करने व अधिकारियों के मौके पर पहुंचने पर वहां महिलाओ को लड़ने झगड़ने के लिए छोड़कर स्वयं मौके से गायब हो जाता है। प्रार्थी का आवेदन सर्वथा मियाद बाहर है, जिसे खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। मद सं. 11 व 12 कानूनी है। <u>विशेष–कथन–</u> ग्राम कूदन तहसील सीकर हाल तहसील सीकर ग्रामीण में स्थित भूमियां पुराने खसरा सं. 177, 190, 463, 121, 120 के बाबत एक वाद माननीय न्यायालय हाजा में गणपतराम बनाम नारायणराम आदि वाद सं. 124/1972 दिनांक 04.08.1972 को पेश किया गया था, जो गणपतराम वादी प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के प्रार्थी भोमाराम का पिता, वाद सं. 210/1993 में प्रतिवादिनी सं. 1 के पति थे। जिस वाद में वादग्रस्त भूमियों के खातेदारो व पक्षकारों तथा उनके वारिसान के मध्य दिनांक 15.10.1973 को राजीनामा हुआ व मुताबिक राजीनामा भूमियां का बंटवारा तथा खातेदारों के [illegible] की भूमि में आने जाने हेतु रास्तो की व्यवस्था की गयी तथा राजीनामा के अनुसार वाद सं. 124/1972 में दिनांक 05.11.1973 को निर्णय व डिक्री पारित किया गया। उक्त भूमियों के दौराने [illegible] सेटलमेन्ट नये खसरा सं. 256, 257, 258, 259, 260, 261, 261/1018, 381, [illegible] न्यायालय हाजा द्वारा वाद सं. 124/1972 में बरूये राजीनामा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.11.1973 के आधार पर नामान्तकरण सं. 247 से राजस्व रेकार्ड में अमल हुआ, जिनमें भूमियां तो अलग–अलग रेकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 11:57:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
घोद जिला-सीकर

बंटवारे के अनुसार अंकित हो गयी, परन्तु राजीनामा में रास्ते के बाबत रेकार्ड में अंकन नही हुआ तब एक अन्य वाद वाद सं. 210/1993 बउनवानी रणमल सिंह बनाम मु. मोहरी आदि दिनांक 23.08.1993 को पेश किया गया, जो वाद समस्त विधिक प्रक्रिया के निर्णित व डिक्री किया गया तथा इस वाद में केवल मात्र वाद सं. 124/1972 में हुए राजीनामा के अनुसार ही भूमियों में आने जाने के रास्ते को रेकार्ड में अंकित किए जाने की सहायता चाही गयी तथा वाद संख्या 210/1993 में जो तनकियात कायम की गयी, जिसमें तनकी 1 व 2 निम्न प्रकार है–

1. आया वादिया भूमि पैतृक होकर वादी व प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक सजरा जिनका राजीनामा के जरिये पूर्व वाद सं. 124/1972 में डिक्री हो चुका है। यदि ऐसा है, तो वाद पर इसका क्या असर है।

– जिम्मे वादी

2. आया वादी व प्रतिवादीगण के मध्य वाद के पैरा सं. 4 से 7 के अनुसार बाहमी बंटवारा कर रखा है, जिसका राजस्व रेकार्ड में अमल की घोषणा उचित है।

– जिम्मे वादी

उक्त तनकियों का निर्णय वादी के पक्ष में किया गया, इसलिए पश्चात्वर्ती वाद का पोषणीय होना या नहीं होना न्यायालय हाजा द्वारा निर्णित किया जा चुका है, जिसे चुनौती देने का प्रार्थी को अधिकार नहीं है। प्रार्थी के पिता भोमाराम की ओर से जरिये नेक्ट फेन्ड उसके पुत्र मनोज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है, जिसने शपथ–पत्र में स्वयं की उम्र 34 वर्ष अंकित की है तथा इनके दादा गणपतराम द्वारा वर्ष 1972 में प्रस्तुत वाद व उसमें किए गए राजीनामा के दिन तो मनोज का जन्म भी नहीं हुआ था व स्वयं गणपतराम ने भूमियों के बंटवारे के समय रास्ते की व्यवस्था करते हुए राजीनामा प्रस्तुत किया था, जिनके विरूद्ध एक्ट करने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। वाद सं. 210/1993 रणमल सिंह वादी द्वारा प्रस्तुत करने पर वर्ष 1973 में निर्णित वाद राजीनामा, खसरा गिरदावरी, श्रीमान् तहसीलदार साहब की मौका रिपोर्ट के बाद वाद सं. 210/1993 गुणावगुण पर निर्णित हुआ है, जिसकी जानकारी प्रार्थी को प्रारम्भ से ही रही है, परन्तु पिछले कुछ महिनों से प्रार्थी के मन में बेईमानी पैदा हो गयी और किसी के बहकावे में आकर रास्ते में अवरोध पैदा करने लगा, जिसको समझाने पर मरने–मारने पर उतारू होना आम बात हो गयी तथा अनावश्यक व सर्वथा फर्जी, बनावटी अभिकथन करते हुए प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पेश कर अनावश्यक न्यायालय का समय बर्बाद कर रहा है। इसलिए प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने की कृपा करें।"

प्रार्थी के उक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत आवेदन अ.धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब भी उक्त अप्रार्थीगण ने अलग से पेश कर प्रार्थी का हस्तगत आवेदन मियाद बाहर होने से खारिज करने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष के अभिभाषकगण से सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये कथन किये कि प्रार्थी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था। रास्ते की घोषणा का वाद डिक्री करवाया गया जबकि यह वाद सिविल न्यायालय में चल सकता है। विभाजन का दावा दिनांक 05.11.1973 को निर्णित [illegible] है। प्रतिवादी सं. 1 मोहरी 1998 में फौत हो चुकी थी। लेकिन फिर भी मृतक के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया गया। दावे में प्रार्थी के विरूद्ध कोई वादकारण नहीं था। जानकारी होने पर नकल प्राप्त करके हस्तगत आवेदन पेश कर दिया गया तथा धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पेश कर विलम्ब क्षमा किया जाना न्यायोचित है। अतः उक्त निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने बाबत प्रार्थी का आवेदन स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 11:57:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

किये जाने का निवेदन किया। अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत लिखित बहस में कुछ न्यायिक दृष्टांतों– आर.आर.टी. 2017(2) पेज सं. 1104, आर.बी.जे. 2006(13)(एच.सी.) पेज सं. 796, आर. आर.टी. 2005(2) पेज सं. 839, आर.बी.जे. 2016 पेज सं. 679, आर.बी.जे. 2003 पेज सं. 366, डी. एन.जे. 2024(1) पेज सं. 745, आर.आर.टी. 2024(2)(एच.सी.) पेज सं. 1389, आर.आर.टी. 2017(2)(एस.सी.) पेज सं. 1047, सी.जे. (सिविल) 2019(3)(राज.) पेज सं. 1488, आर.आर.टी. 2011(1) पेज सं. 64, आर.आर.टी. 2014(2) पेज सं. 1249, डब्ल्यू.एल.एन. 2013(2) पेज सं. 228, डी.एन.जे. 2014(2) पेज सं. 568, ए.आई.आर. 1993 पेज सं. 48, आर.एल.डब्ल्यू. 2020(2)(राज.) पेज सं. 1536, डी.एन.जे.1998 (एस.सी.) पेज सं. 47 व आर.आर.टी. 2014(2) पेज सं. 881 आदि का उल्लेख किया गया।

वकील अप्रार्थीगण सं. 1, 4, 5 (5/1 ता 5/5) व 6 ने अपने जवाब आवेदन में दर्ज कथनों को बहस के दौरान दोहराते हुये कथन किये कि आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. में केवल तामील विधिवत हुई है या नहीं यह देखा जाता है। यदि गलत दावा पेश कर गलत डिक्री किया गया है तो अपील में जाना चाहिये था। प्रार्थी के खिलाफ विधिवत एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी। भोमसिंह के नोटिस पर हस्ताक्षर है, जो केवल पढ़ा–लिखा व्यक्ति ही कर सकता है। धारा 10 व 11 से हिट मामलों में केवल आवेदन वाद के विचाराधीन रहने पर पेश किया जा सकता है। पूर्व दावा 1972 में गणपतराम के द्वारा पेश किया गया तथा राजीनामें से डिक्री हुआ। उक्त 1972 के पूर्व दावे के तहत रास्ते का अमल नहीं होने के कारण पुनः दावा पेश करना पड़ा। प्रार्थी गणपतराम के राजीनामें के विरूद्ध नहीं जा सकते है। इसकी तनकी हस्तगत वाद में कायम हुई है। समस्त प्रक्रिया अपनाकर 13 वर्ष की लम्बी सुनवाई के बाद वाद डिक्री हुआ। प्रार्थी भोमाराम विकृतचित नहीं है, जिसके संबंध में किसी सक्षम चिकित्सा अधिकारी का कोई प्रमाण–पत्र नहीं है। इस वाद की जानकारी प्रार्थी को पूर्व से है। अतः प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावें। अपने कथनों के समर्थन में कुछ न्यायिक दृष्टांतों– आर.आर.टी. 2008(2) पेज सं. 1316, आर.आर.टी. 2009(1) पेज सं. 241, आर.आर.टी. 2005(1) पेज सं. 235, आर.आर.टी. 2016(2) पेज सं. 1017 व आर.आर.टी. 1992 पेज सं. 296 आदि पेश किये गये।

हमने बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण आवेदन में प्रार्थी के द्वारा वाद सं. 210/1993 उनवान रणमलसिंह बनाम मु.मोहरी आदि के तत्कालीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर के निर्णय दिनांकित 10.02.2006 व डिक्री दिनांकित 31.08.2006 निरस्त की जाकर प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान तथा प्रतिवादी सं. 2 (प्रार्थी भोमाराम) के वाद–मित्र को सुनवाई का अवसर प्रदान करने बाबत हस्तगत आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के तहत पेश किया है। प्रार्थी भोमाराम पुत्र गणपतराम को विकृतचित बताया जाकर उक्तानुसार अनुतोष चाहा गया है। हस्तगत आवेदन प्रार्थी ने जिस धारा के तहत पेश किया है वह विधिसम्मत नहीं होने बाबत आक्षेप को ही प्रमुखता से वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब व कथनों में उठाया है। पूर्व में पारित वर्णित निर्णयों व डिक्री आदि का भी गहनता से अवलोकन किया गया। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने उनके पक्षकार प्रार्थी (भोमाराम) को विकृतचित बताया जाकर दावा, जो कि वर्ष 1993 में पेश होने पर दिनांक 31.08.2006 को अंतिम डिक्री किया गया था, उसे अपास्त करवाने हेतु आदेश 9 नियम 13 में विहित प्रावधानों का भी गहनता से अवलोकन किया, जिसमें स्पष्ट रूप से ''प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना'' का प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित दावा सं. 210/1993 उनवान रणमलसिंह बनाम मु.मोहरी आदि में प्रतिवादी सं. 2 (पुत्र गणपतराम), जो कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के हैसियत से उक्त प्रकरण दावा सं. 210/1993 में डिक्री दिनांकित 31.08.2006

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 14:57:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

को अपास्त करवाना चाहा है। उक्त दावा की आदेशिका व उक्त भोमाराम को जारी नोटिस की सत्यापित प्रति आदि का अवलोकन करने से स्पष्ट रूप से जाहिर होता है उक्त नोटिस की प्रति के पीछे तामील स्वयं व्यक्तिशः प्रार्थी भोमाराम को होना अंकित है। प्रार्थी भोमाराम (उक्त दावें में प्रतिवादी सं. 2) नोटिस के पृच्छ भाग पर उल्लेखित "शपथ सूचना– आदेश 5 नियम 18 सीपीसी" में स्वयं प्रार्थी भोमाराम के हस्ताक्षर किये हुये है। उक्त नोटिस तत्समय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.1993 को जारी होना तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.10.1993 के अनुसार जारी किया हुआ है। उक्त नोटिस प्रार्थी (भोमाराम) को व्यक्तिशः तामील होने के बाद दिनांक 04.04.1994 को न्यायालय द्वारा व्यक्तिशः स्वयं को तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। अर्थात् प्रार्थी (भोमाराम) को व्यक्तिशः तामील होने के करीब 6–7 माह बाद न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इसके बाद प्रकरण में अन्य पक्षकारों/प्रतिवादीगणों को नोटिस की कार्यवाही पूर्ण की जाकर उपस्थित होने वाले पक्षकारों से जवाब लिया जाकर तनकी कायम कर, साक्ष्य लिये जाने के बाद उपस्थित उभयपक्ष से बहस सुनी जाकर दावा पेश होने के बाद लगभग 13 वर्षों के बाद दिनांक 31.08.2006 को दावा को अंतिम डिक्री किया गया। इस प्रकार से प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट रूप से जाहिर है कि प्रकरण दावा में प्रार्थी (भोमाराम)/प्रतिवादी सं. 2 को जानकारी/तामील होने के बावजूद विधिनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उक्त एकपक्षीय कार्यवाही को विधिविरूद्ध नहीं माना जा सकता। यदि फिर ही उक्त दावा में उक्त प्रतिवादी सं. 2/भोमाराम के खिलाफ की गई एकपक्षीय कार्यवाही से उक्त प्रतिवादी असंतुष्ट होने पर सीपीसी में विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र था। परन्तु ऐसा नहीं किया जाकर हस्तगत आवेदन वर्ष 2015 में पेश कर सुनवाई का अनुतोष चाहा है, जो कि इस स्तर पर दिया जाना संभव नहीं है। साथ ही प्रकरण में वर्णित डिक्री दिनांकित 31.08.2006 से प्रार्थी/भोमाराम असंतुष्ट थे, तो उसके खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र थे, परन्तु ऐसा नहीं किया जाकर हस्तगत आवेदन पेश किया, जो कि विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत हस्तगत आवेदन में वर्णित अनुतोष के समर्थन में कोई भी ठोस साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात पेश नहीं किया है, जिससे उनके तथ्यों की पुष्टि होती हो। सारतः वकील प्रार्थी का हस्तगत आवेदन बिना किसी प्रर्याप्त आधारों के पेश किया गया है तथा हस्तगत आवेदन के समर्थन में उल्लेखित न्यायिक दृष्टांतों का प्रकरण की इस प्रकृति व तथ्यों के समर्थन में चस्पा नहीं होते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वकील प्रार्थी का हस्तगत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. विधिसम्मत नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद * जिला–सीकर (राज.) *

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 11:57:05 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर